फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम सूरजगढ़

राज0 सरकार बनाम गिन्नी कंवर वगै9

किस्म मुकदमा धारा 177 आर.टी.एक्ट मुकदमा न0 186/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2022	आज यह पत्रावली प्रतिवादी नगेन्द्र नौवाल की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री रामेश्वर एड. ने मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र 09 रूल 07 सीपीसी पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। उनका कथन है कि प्रतिवादी/ प्रार्थी के खिलाफ मौजुदा वाद में दिनांक 20.12.2021 को गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल की गई। प्रतिवादी जानबुझकर गैरहाजिर नहीं रहा बल्कि प्रतिवादी/प्रार्थी को मौजुदा वाद में कभी तामिल नोटिस ही नहीं गया। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को जवाबदावा का अवसर प्रदान करें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील चस्पांदगी से करवाई गई है न्यायहित में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र आदेश 09 रूल 7 सी.पी. स्वीकार किया जाकर जवाबदावा का अवसर दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता का कथन है कि वादवर्णित भूमि पिछले 20 वर्षो से आबादी में तब्दील हो गई है। प्रतिवादी की ओर से अपने भूखण्ड का संपरिवर्तन कराने हेतु नगरपालिका विधाविहार पिलानी में आवेदन पत्र वाद दायरी के पूर्व ही जमा करवा दिया गया था। यह कहना गलत है कि प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी की शर्तो को भंग किया हो एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म परिवर्तन की हो। यह कहना भी गलत है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान किया हो। दावा गलत पेश होने से खारिज योग्य है। वादी कोई स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। साथ ही नगर पालिका विद्याविहार के अधिशाषी अधिकारी के पत्र कमांक न0पा0वि0वि0 /2022–23 / 1471 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा भी प्रतिवादी के कथन की पुष्टि होती है कि नगर पालिका द्वारा उक्त खसरे के ले– आउट प्लान भी पट्टे जारी करने के लिये बनाये गये हैं अतः वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़	

Scanned with Oken Scanner